

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/SDMC/2423/2015-22/447

दिनांक : 18.11.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :- SMC/SDMC बैंक खातों को सत्यापित कर शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना प्रतिमाह अपडेट करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक : शिविरा-मा/माध्यमिक/ शालादर्पण/ 60306(3)
/2017-18/301 दिनांक : 18.11.2021 एवं 457/02.12.2021 के क्रम में।

प्रासंगिक पत्रों दिनांक : 18.11.2021 एवं 02.12.2021 द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भ किए गए फण्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल (Fund Management Module) में बैंक खातों का सत्यापन करने एवं बैंक खातों की प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण एवं समय-समय पर सूचना अपडेशन हेतु निर्देश मय यूजर मैनुअल जारी किए गए हैं। उक्त मॉड्यूल पर अब तक अनेक विद्यालयों द्वारा विवरण दर्ज नहीं किया गया है अथवा उनका सत्यापन नहीं करवाया गया है।

पूर्व निर्देशानुसार शाला दर्पण पोर्टल पर Fund Management Module के माध्यम से विद्यालय में संचालित खातों का विवरण दर्ज कर द्वितीय सत्यापन हेतु सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ कार्यालय के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारी के द्वारा विद्यालयों के खातों की पुष्टि की जानी है। विद्यालय के खाते की पुष्टि किस स्तर पर लम्बित है, उसे फंड मैनेजमेंट टैब में "विद्यालय बैंक खाता विवरण" की स्थिति में देखा जा सकता है। अतः तदनुसार लम्बित का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे एवं दिनांक : 30.11.2022 तक समस्त खातों को सत्यापित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त मॉड्यूल में विद्यालय के समस्त बैंक खातों में 01 अप्रैल, 2022 का ऑपनिंग बैलेंस अंकित करते हुए संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार प्रत्येक माह के लिए गत माह के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि, माह में व्यय एवं माह के अन्त में शेष राशि की प्रविष्टि का कार्य माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से करवाया जाना है, जिन विद्यालयों ने पूर्व में उक्त मॉड्यूल में प्रविष्टियां दिनांक : 01 अप्रैल, 2021 के आधार पर कर दी थी, वर्तमान में उसे अनलॉक कर दिया गया है। अतः उक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करावें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों एवं कार्यालयों से इसकी प्रतिमाह पालना सुनिश्चित करावें।

इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावें।

संलग्न : यूजर मैनुअल।



(गौरव अग्रवाल)


आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि Fund Management Module में अपेक्षित सत्यापन का कार्य निर्देशानुसार अव्वल समय में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. समस्त प्राचार्य/पीईईओ/यूसीईईओ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करवाने एवं समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधानों को ई-मेल प्रेषित करने हेतु।


उप निदेशक(माध्यमिक)



प्रदर्शित विण्डों में माह का चयन कर संबंधित माह में मद एवं उपमद में प्राप्त राशि एवं खर्च राशि का इन्द्राज कर सेव करें। पूरे माह की सभी मदों एवं उपमदों की एन्ट्री करने के पश्चात फाइनल लॉक करें इस बात का विशेष ध्यान रखे कि यदि आप ने पूरे माह की एन्ट्री करे बिना फाइनल लॉक कर दिया तो फिर उस माह की एन्ट्री संभव नहीं होगी।